डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजीयन क्रमांक रायपुर डिवीजन

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 26]   रायपुर, शनिवार, दिनांक 27 जनवरी 2001—माघ 7, शक 1922

विधि विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

रायपुर, दिनांक 27 जनवरी 2001

क्रमांक-598/21-अ (प्रारूपण)/छग/2001.—भारत के संविधान के अनुच्छेद-213 के अधीन छत्तीसगढ़ के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया निम्नलिखित अध्यादेश सर्वसाधारण को जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है .

"छत्तीसगढ़ आकस्मिकता निधि अध्यादेश, 2001 (क्रमांक 1 सन् 2001)."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एच. आर. गुरूपंच, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ अध्यादेश
क्रमांक 1 सन् 2001

छत्तीसगढ़ आकस्मिकता निधि अध्यादेश, 2001

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया.

छत्तीसगढ़ राज्य की आकस्मिकता निधि की स्थापना करने तथा उसे बनाए रखने के लिये व्यवस्था करने हेतु अध्यादेश .

अत: यह समीचीन है कि छत्तीसगढ़ राज्य के लिए आकस्मिकता निधि की स्थापना करने तथा उसे बनाए रखने के लिए व्यवस्था करने हेतु उपबंध किया जाए ;

अत: राज्य के विधान-मंडल का सत्र चालू नहीं है और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल का समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण यह आवश्यक हो गया हो कि वे तुरंत कार्यवाही करें ;

अतएव, भारत की संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :—

संक्षिप्त नाम . 1. इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ आकस्मिकता निधि अध्यादेश, 2001 है .

परिभाषा . 2. इस अध्यादेश में जब तक कि कोई बात विषय या संदर्भ से विरुद्ध न हो, ''निधि'' से अभिप्रेत है, धारा 3 के अधीन स्थापित की गई छत्तीसगढ़ राज्य आकस्मिकता निधि .

आकस्मिकता निधि की स्थापना . 3. अग्रदाय के रूप में ''छत्तीसगढ़ राज्य की आकस्मिकता निधि '' नामक एक निधि की स्थापना की जाएगी जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से 40.00 करोड़ रुपये की धनराशि का भुगतान किया जाएगा .

निधि की अभिरक्षा तथा उसमें से धन निकालना . 4. यह निधि राज्यपाल की ओर से शासन के वित्त विभाग के सचिव द्वारा धारण की जाएगी और विधि द्वारा किए गए विनियोग के अधीन राज्य के विधान मंडल द्वारा ऐसे व्यय के प्राधिकृत हो जाने तक अनपेक्षित व्ययों की पूर्ति करने के प्रयोजनों के सिवाय, निधि में से कोई भी अग्रिम नहीं दिए जायेंगे .

नियम बनाने की शक्ति . 5. इस अध्यादेश के उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार निधि की अभिरक्षा, उसमें धन के भुगतान और उसमें से धन के निकालने से संबंधित या आनुषंगिक समस्त विषयों का विनियमन करने हेतु नियम बना सकेगी.

रायपुर :
तारीख 27-1-2001.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एच. आर. गुरुपंच, उप-सचिव.

CHHATTISGARH ORDINANCE
No. 1 of 2001

THE CHHATTISGARH CONTINGENCY FUND ORDINANCE, 2001

Promulgated by the Governor of Chhattisgarh in the Fifty-second Year of the Republic of India.

An Ordinance to provide for the establishment and maintenance of the Contingency Fund of the State of Chhattisgarh.

WHEREAS it is expedient to provide for the establishment and maintenance of the Contingency Fund for the State of Chhattisgarh ;

AND WHEREAS the State Legislature is not in session, and the Governor of Chhattisgarh is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the constitution of India, the Governor of Chhattisgarh is pleased to promulgate the following Ordinance :—

Short title. 1. This Ordinance may be called the Chhattisgarh Contingency Fund Ordinance, 2001.

Definition. 2. In this Ordinance, unless there is anything repugnant in the subject or context, "the fund" means the Contingency Fund of the State of Chhattisgarh established under Section 3.

Establishment of Contingency Fund.

3. There shall be established a Fund in the nature of an imprest entitled "the Contingency Fund of the State of Chhattisgarh" into which shall be paid from and out of the Consolidated Fund of the State of Chhattisgarh a sum of forty crores of rupees.

Custody of Fund and withdrawal there from.

4. The Fund shall be held on behalf of the Governor by the Secretary to Government in the Finance Department and no advances shall be made out of the Fund except for the purposes of meeting unforseen Expenditure pending authorisation of such expenditure by the Legislature of the State under appropriation made by Law.

Power to make rules.

5. For the purpose of carrying out the objects of this Ordinance the State Government may make rules regulating all matters connected with or ancillary to the custody of, payment of moneys into, and the withdrawal of moneys from, the Fund.

Raipur :
Dated the 27-1-2001.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
H. R. Gurupanch, Dy. Secretary.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.